



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक: एफ.14()शैक्ष.पा/मदसविवि/2018/

दिनांक:
पंजीकृत

प्राचार्य,
म.दस. विश्वविद्यालय, अजमेर से
सम्बद्धता प्राप्त समस्त बी.एड./बी.ए.बी.एड.
व बी.एससी.बी.एड. महाविद्यालय।

विषय :—सत्र 2018–2019 के लिए बी.एड./ बी.ए. बी.एड./ बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रमों अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि के लिए दिनांक 03 से 06 जुलाई 2018 शिविर आयोजन बाबत।

संदर्भ: एफ.14()शैक्ष.पा/मदसविवि/2018/ 11661–750 दिनांक 09.06.2018

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में आदेशानुसार सूचित कर लेख है कि विश्वविद्यालय में सत्र 2018–2019 में बी.एड./बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रमों की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि/नवीन अस्थायी सम्बद्धता हेतु दिनांक 25 से 28 जून, 2018 तक आयोजित शिविर अब दिनांक 03 से 06 जुलाई 2018 तक को विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन (विद्या परिषद कक्ष) में आयोजित किया जायेगा।

अतः महाविद्यालय सत्र 2018–2019 के लिए बी.एड./बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2017 के प्रावधानानुसार नियुक्त प्राचार्य एवं शिक्षकों के मूल शैक्षणिक दस्तावेज, आई.डी. के सम्बन्ध में आधार कार्ड/पैन कार्ड, निर्धारित मानदण्डानुसार पुस्तकों के क्रय के बिलों व परिग्रहण पंजिका तथा इन दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों की फाईल तथा प्राचार्य एवं शिक्षकों के सत्र 2018–2019 में सम्बन्धित महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य महाविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत नहीं होने बाबत् नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय फोटो हिन्दी व अंग्रेजी में हस्ताक्षरित नोटरी द्वारा सत्यापित मूल शपथ पत्र के साथ विश्वविद्यालय में दिनांक 03 से 06 जुलाई 2018 के दौरान आयोजित शिविर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। जिससे कि महाविद्यालय को सत्र 2018–2019 की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि/नवीन अस्थायी सम्बद्धता शीघ्र प्रदान की जा सके।

निर्देशानुसार यह भी सूचित किया जाता है कि जो महाविद्यालय उपर्युक्त दस्तावेज निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करेंगे उन महाविद्यालयों के विरुद्ध सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही की जा सकती है। जिसके लिए संबंधित महाविद्यालय प्रशासन उत्तरदायी होगा।

भवदीय,

—८८—
उपकुलसचिव (शैक्ष. ॥)
दिनांक: 23.6.18

क्रमांक: एफ.14()शैक्ष.पा/मदसविवि/2018/ 14901–904

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- ✓ 1. वेब एडमिनिस्ट्रेटर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
- 2. उप कुलसचिव (सा.प्र.), मदस विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त शिविर हेतु स्थान तथा जलपान की व्यवस्था करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित कराने का श्रम करावें।
- 3. निजी सचिव—कुलपति / निजी सहायक—कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर।

अनुभागाधिकारी (शैक्ष. ॥)